रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 1995/आषाढ़ 6, 1917
No. 283] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 1995/ASADHA 6, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1995

सा. का. नि. 522 (अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और गुजरात सरकार के राजपत्र में क्रमश: 19-5-94 और 26-5-94 को विधिवत् प्रकाशित कांडला पत्तन न्यास

(स्टीवडोरों को लाइसेंस प्रदान करना) (संशोधन) नियमावली, 1994 को अनुमोदित करती है, जिसके ब्यौरे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं।

[फा. सं. पी आर-21015/4/94-पी जी]
सी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

प्रशासनिक कार्यालय, पोस्ट बॉक्स सं. 50,

गांधीधाम–कच्छ

सं टी एक/जी एन/1101/ दिनांक : 03/94

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 उपधारा (च) से (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कांडला पोर्ट ट्रस्ट (नौभरकों को अनुज्ञापन) विनियम 1988 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. ये विनियम कांडला पोर्ट ट्रस्ट (नौभरकों को अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम 1994 कहे जायेंगे।

2. निम्नलिखित को विनियम 3(3) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा। अनुज्ञापन संबंधी पुनर्नवीकरण जारी करने से पूर्व डॉक कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन जो व्यक्ति "निरीक्षक" घोषित हो, उससे निष्पादन तथा गोदी सुरक्षा कानून से संबंधित ऐसी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी जिसे अनुज्ञापन का पुनर्नवीकरण प्रदान करते समय ध्यान रखा जाएगा।

3. विद्यमान विनियम 5(क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाए :—

"वह यह सुनिश्चित करेगा कि माल के प्रभारण तथा परिवहन अथवा यानान्तरण अथवा तत्संबंधी सहायक कार्य के परिचालन के दौरान उसके पास नियोजित कर्मचारी तथा कर्मकार ऐसे परिचालन से संबंधित तथा तत्समय प्रवृत्त डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 तथा डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) विनियम, 1990 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बोनस संदाय अधिनियम 1965 के प्रावधानों तथा तत्संबंधी जारी नियम, विनियम तथा योजनाओं का उचित अनुपालन करें।

मूल अधिसूचना संख्या गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 31-3-1988 (भाग VI ग)

एल. जी. भट्ट, सचिव
कांडला पोर्ट ट्रस्ट.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1995

GSR 522 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 the Central Government hereby apporves the Kandla Port Trust (Licencing of Stevedores) /(Amendment) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees of the port of Kandla in exercise of the powers conferred on them under Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 and duly published in Gujarat Government Gazette dated 19-5-1994 and 26-5-94 respectively, as detailed in the schedule annexed to this notification.

[F. No. PR-21015/4/94-PG]
S. C. KHAIRWAL, Jt Secy

KANDLA PORT TRUST

Administrative
Office , PB No. 50,
Gandhidham-Kutch

No. TF/GN/1101/ Dated: /03/94

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (f) to (O) of Section 123 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees hereby makes the following amendments to the Kandla Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 1988.

1. These Regulations may be called the Kandla Port Trust (Licencing of Stevedores) (Amendment) Regulations, 1994.

2. Following shall be inserted as Regulation 3(3). Before issue of renewal of the licence, a report regarding the Safety performances and compliance of Dock (Safety Statutes shall be obtained from the "Inspector" declared under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 which shall be taken into consideration while granting the renewal of the licence.

3. The existing Regulation 5 (a) shall be substituted as under:—

'he shall ensure due compliance by all the staff and the workers employed by him during the operation of landing and shipping or transhipping goods or work incidental thereto, of the provisions of the Dock Workers (Stafety, Health and Walfare) Act, 1986 and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1990, the Industrial Disputes Act, 1947, the payment of Bonus Act, 1965 and rules, regulations and schemes issued thereunder, relating to such operations and for the time being in force;'

Original Notification No. GUJ. GOVT. GAZ. 31-3-1988 (PART IV. C).

L. G. BHATT, Secretary,
Kandla Port Trust.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995